

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुध्दस्पतिवार, जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

सीमाशुल्क

सां० का० नि० 1(अ):—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं०—197-सीमाशुल्क [सां० का० नि० सं० 564 (अ)], तारीख 1 अक्तूबर, 1980 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेसी से भारतीय करेसी में या भारतीय करेसी से विदेशी करेसी में संपरिवर्तन के लिए विनियम की बरे वे होंगी जो उसके सामने स्तंभ (3) में दी तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है।

अनुसूची

क्रम सं०	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
1	2	3
1.	ऑस्ट्रेलिया के शिलिंग	172.90
2.	ऑस्ट्रेलिया के डालर	10.55
3.	बेल्जियम के फ्रैंक	392
4.	कनाडा के डालर	14.72
5.	डेनमार्क के क्रोनर	74.30
6.	डुसे मार्क	24.19
7.	डच गिल्डर	26.35
8.	फ्रांस के फ्रैंक	55.90
9.	हांग-कांग के डालर	63.75
10.	इतालवी लीरा	11472
11.	जापानी येन	2548
12.	मलाया के डालर	27.43
13.	नार्वे के क्रोनर	64.05
14.	पीछ स्टरलिंग	5.2810
15.	स्वीडन के क्रोनर	54.10
16.	स्विटजरलैंड के फ्रैंक	21.89
17.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	12.47

[सं० 1-सीमाशुल्क/फा० सं० 503/5/80-सीमाशुल्क-6]

के० कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 1 (E) .—In pursuance of sub-clause(i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 197-Customs [G.S.R.No.564(E)] dated the 1st October, 1980 the Central Government hereby determines that, for the purpose of section 14 of the said Act, the rate of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in

Data relating to notifications in Department of Revenue

column (2) of the Schedule below into Indian currency or vice-versa, shall be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
1	2	3
1.	Austrian Schillings	172.90
2.	Australian Dollars	10.55
3.	Belgian Francs	392
4.	Canadian Dollars	14.72
5.	Danish Kroners	74.30
6.	Deutsche Marks	24.19
7.	Dutch Guilders	26.35
8.	French Francs	55.90
9.	Hong Kong Dollars	63.75
10.	Italian Lire	11472
11.	Japanese Yen	2548
12.	Malaysian Dollars	27.43
13.	Norwegian Kroners	64.05
14.	Pound Sterling	5.2810
15.	Swedish Kroners	54.10
16.	Swiss Francs	21.89
17.	U.S.A. Dollars	12.47

[No.1-Cus/F.503/5/80-Cus. VI]

K. KUMAR, Under Secy.

